बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक :- 138311 पटना, दिनांक :- 11/02/2013
ग्रा.वि.9 (ख0)BRDS 24/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषय :- **मनरेगा/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अंतर्गत अनुबंध के आधार पर नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारियों की चल एवं अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी विभागीय Web site पर Upload करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय ज्ञापांक 133446 दिनांक 21.12.2012

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि जिला अंतर्गत मनरेगा/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अंतर्गत अनुबंध के आधार पर नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारियों की चल एवं अचल संपत्ति एवं दायित्वों की विवरणी विभागीय Web site पर Upload किए जाने की अपेक्षा सरकार के निर्णय के क्रम में संसूचित की गई किन्तु इस दिशा में वांछित प्रगति अप्राप्त है जिससे सरकार के आदेश का उल्लंघन परिलक्षित होता है जो खेद का विषय है ।

अनुरोध है कि एक माह के अंदर शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर कृत कार्रवाई की सूचना विभाग/सोसाईटी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । साथ ही इस दिशा में अद्यतन प्रगति की सूचना विभाग द्वारा आयोजित साप्ताहिक विडियों कॉनफरेंस में भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
सचिव ।

(17)

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी

ग्रामीण विकास विभाग ।

पत्रांक 133946 पटना, दिनांक 21/12/2012

ग्रा0वि09(ख0)BRDS-24/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक ।
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषय :- **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत / जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अन्तर्गत अनुबंध पर नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों की चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों के विवरणी समर्पित करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 115714 दिनांक 30.07.2012 एवं पत्रांक 123126 दिनांक 19.09.2012 के द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अन्तर्गत अनुबंध पर नियोजित कर्मियों की चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों के विवरणी प्राप्त कर उन्हें विभागीय वेवसाईट पर दिनांक 15 अगस्त 2012 तक अपलोड कर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था ।

उक्त निर्देश के आलोक में मात्र नालन्दा, गया, नवादा, शेखपुरा, मधेपुरा एवं अरवल में आंशिक अनुपालन हो पाया है ।

अनुरोध है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अन्तर्गत अनुबंध पर नियोजित कर्मियों की चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों के विवरणी प्राप्त कर उन्हें विभागीय वेवसाईट पर दिनांक 31.12.2012 तक शत-प्रतिशत् अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा जिस कर्मियों द्वारा अपने चल-अचल संपत्ति तथा दायित्वों के विवरणी नहीं जमा करते हैं तो उनके मानदेय का भुगतान स्थगित कर दी जाय ।

विषयक स्थिति के अनुपालन पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 24.12.2012 को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में समीक्षा की जायगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

21/12
(अमृत लाल मीणा)
सचिव

D:\krishn mohan sir\Application-27.doc